

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii)]

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Direct Taxes

No.....65...../2015

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2015.

S.O.....(E). - In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, "Telangana State Electricity Regulatory Commission", a Commission constituted by the Government of Telangana in respect of the following specified income arising to the said Commission, namely:-

- (a) all fees received by the Commission under the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);
- (b) grant and loans received from the government of Telangana; and
- (c) interest earned on the amount deposited in the banks.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that Telangana State Electricity Regulatory Commission -

- (a) shall not engage in any commercial activity;
- (b) files return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961; and
- (c) its activities and the nature of the specified income remain unchanged throughout the financial years.

3. This notification shall be applicable for the financial years 2014-15 to 2018-19.

[F.No.196/03/2015-ITA-I]

Deepshikha

DEEPSHIKHA SHARMA
Director to the Government of India

To

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri Press,
New Delhi.

hl
14/8

keene

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

सं...65../2015

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 13 अगस्त, 2015

का.आ.....(अ). आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के उपवाक्य (46) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त उपवाक्य के प्रयोजन के लिए "तेलगाना राज्य विद्युत विनियामक आयोग" जोकि तेलगाना सरकार द्वारा गठित एक आयोग है, को उक्त आयोग को होने वाली निम्नलिखित विशिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, यथा:-

- (क) विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) के अंतर्गत आयोग द्वारा प्राप्त किए गए सभी शुल्क;
- (ख) तेलगाना सरकार से प्राप्त अनुदान और ऋण; तथा
- (ग) बैंक में जमा राशि पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अध्यक्षीन प्रभावी रहेगी कि तेलगाना राज्य विद्युत विनियामक आयोग:-

- (क) किसी भी वाणिज्यिक कार्यकलाप में संलग्न नहीं होगा;
- (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के उपवाक्य (च) के प्रावधानों के अनुसार अपनी आयकर विवरणी भरेगा;
- (ग) इसक क्रियाकलाप और विनिर्दिष्ट आय का स्वरूप संपूर्ण वित्तीय वर्षों में यथावत रहेंगे;

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक लागू रहेगी।

[फा.सं. 196/03/2015-आ.का.नि-1]

दीपशिखा शर्मा
(दीपशिखा शर्मा)

निदेशक, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,
(राजौरी गार्डन के समीप), नई दिल्ली।